कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

दिनांक : 20.08.2020

क्रमांक–प.18( )न्याय / निषेधाज्ञा / 2020 / 8240

आदेश

(अधीन धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना करवाये जाने के समुचित प्रबन्ध एवं समझाईश किये जाने के उपरान्त भी कई लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किये जाने, सामाजिक दूरी नहीं बनाये रखने से उक्त संक्रमण के रोगियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पूर्व में समय समय पर स्वैच्छिक लॉकडाउन रखा जाने की अपील की जाने पर भी लॉकडाउन की सफल क्रियान्विति नहीं हुई है।

अतः उक्त संक्रमण की श्रृंखला को रोकने के लिये जिला मुख्यालय नागौर (नागौर शहर) पर दिनांक 22–23 अगस्त,2020 को पूर्णतया बन्द (Lockdown) घोषित किया जाता है। उक्त संक्रमण से आम नागरिकों की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से मैं, डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर **दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के** तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मुख्यालय नागौर (नागौर शहर) की सम्पूर्ण सीमा में दिनांक 21.08.2020 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 24.08.2020 को प्रातः 06.00 बजे तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ :–

1. उक्त अवधि में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा।

   यह निम्न पर लागू नही होगा :–

   - पुलिस / जिला प्रशासन / सरकारी अधिकारी / कार्मिक जो ड्यूटी पर है।
   - चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा / पैरामेडिकल कार्मिक (राजकीय / निजी)।
   - औद्योगिक ईकाईयां / निर्माण गतिविधियां जो पारियो में संचालित होती है।
   - चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।
   - दवा दुकानों के मालिक एवं स्टाफ।
   - राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गो पर व्यक्तियों का आवागमन।
   - रेलवे स्टेशन / बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर / गंतव्य स्थान तक आवागमन।
   - ट्रक / माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हो, का आवागमन।
   - दूध, फल / सब्जी विक्रेता
   - होटल एवं रेस्टोरेन्ट (रेस्टोरेन्ट में मात्र टेक अवे की सुविधा ही लागू रहेगी)
2. सभी कार्यस्थल (दुकाने, कार्यालय, वर्कशॉप आदि) जब तक की इस संबंध में प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो, उक्त अवधि में बन्द रहेगें।
3. शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी / मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित किया जावे तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी। इस संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य होगा।
4. अन्त्येष्टि / अंतिम संस्कार से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी / मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जावे और 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की तामील व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश को जिलें के समस्त मुख्य स्थानों

पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार–प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावे।

उक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 के साथ–साथ दण्ड प्रकिया संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

क्रमांक–सम / 8241
दिनांक 20.08.2020

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान,जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह एवं गृह रक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त,अजमेर
5. महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज,अजमेर।
6. प्रभारी, स्टेट वार रूम, जयपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संवंधित पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
8. अति.जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
9. अति.पुलिस अधीक्षक, नागौर
10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट / वृत्ताधिकारी पुलिस / विकास अधिकारी / तहसीलदार नागौर
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर।
12. जिला रसद अधिकारी, नागौर।
13. थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली / सदर / यातायात / महिला थाना, नागौर
14. आयुक्त, नगर परिषद नागौर
15. प्रभारी अधिकारी, पूल, कलेक्ट्रेट, नागौर
16. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, नागौर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
17. अवर निजी सचिव, जिला कलक्टर, नागौर।
18. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, आई.टी.सेंटर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिले की वेबसाईट (www.nagaur.rajasthan.gov.in) पर अवलोड किया जावे।
19. संरक्षित पत्रावली / जिला वार रूम

(मनोज कुमार)
अति.जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर